

➤ सामान्य निर्देश – ग्रामीण विद्या सेवक (GVS)

शैक्षिक योग्यता :-

- ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं। वह उसी राज्य के निवासी हो। आवेदन भरने से पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। तकनीकी (Technology) शिक्षा से स्नातक मान्य नहीं।
- नोट :- यदि प्राप्त की गयी प्रशिक्षण योग्यता यदि हो तो भरें (अन्यथा खाली छोड़ दे)
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बी०एड० , बी०टी०सी० , डी०एल०एड० जे०बी०टी० , एन०टी०टी० तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हताये पूरी करते हो। उन्हें वरीयता प्रदान किया जायेगा।

—: आयु :-

- अभ्यर्थी के आयु की गणना 01जुलाई 2018 से किया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की निर्धारित किया गया है।

आरक्षण —:

- भारत सरकार व राज्य सरकार के विधिमान्य आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगा
- अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों हेतु 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छुट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जायेगी।
- विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष का सामान्य छूट प्राप्त होंगे

:- अधिवास —:

- ग्रामीण विद्या सेवक प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी उसी राज्य के किसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। चयन के समय सक्षम अधिकारी कि स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

—: प्रशिक्षण —:

- ग्रामीण विद्या सेवको के कार्य के उपरान्त अभ्यर्थियों को 3 माह के – TTC (टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) प्रशिक्षण से गुजरना होगा । प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्थाईपेड) देय नहीं होगा । यह प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को “ शिक्षा अनुसंधान एवं विकास समिति के द्वारा कराया जायेगा । यह प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क होगा जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देय होगा
- प्रशिक्षण अवधि में ई0आर0डी0एस0 केन्द्रो व विद्यालयो तथा विभाग से सम्बद्ध विद्यालयो में संचालित समस्त विषयो के पाठ्यक्रम का उन्हे विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- तीन माह की प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को “ शिक्षा अनुसंधान एवं विकास समिति” के द्वारा ग्रामीण टीचिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे ।

—: **चयन प्रक्रिया** —:

- ग्रामीण विद्या सेवक (GVS) हेतु चयन मेरिट के अधार पर किया जायेगा अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इन्टरमिडिएट व स्नातक परीक्षा के अधार पर गुणांक का आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में पूर्णांकित (Round of) किया जायेगा । चयन के समय यदि एक ही वर्ग अथवा श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।

—: **ग्रामीण विद्या सेवक का कर्तब्य एवं दायित्व** —:

- ग्रामीण विद्या सेवक अपने शिक्षण कार्य के दायित्वो का निर्वाहन सम्बन्धित ई0आर0डी0एस0 केन्द्रो व विद्यालयो में जिला शिक्षा नियन्त्रक/ब्लाक शिक्षा नियन्त्रक ई0आर0डी0एस0 के नियन्त्रण एवं मार्ग दर्शन में करेंगे ।

संचालन एवं प्रबन्धन समिति